

समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला पशुपालन विभाग)

पत्रांक _____ / पशुपालन

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

मधुबनी, दिनांक _____ /

विषय: संभावित बाढ़ 2017 के अवसर पर चारे की क्रय/आपूर्ति हेतु निविदा का प्रकाशन करने के संबंध में।

महाराय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि संभावित बाढ़ 2017 से प्रभावित होने वाले पशुओं को चारा की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्म/प्रतिष्ठान एवं आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक 18.07.2017 के अपराह्ण 1:00 बजे तक निविदा आमंत्रित किया जा रहा है।

अतः निविदा के प्रकाशन हेतु निविदा यत्र की चार प्रति, सी.डी. सहित संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इसका प्रकाशन दो प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से अतिशीघ्र कराने की वृप्ता की जाय।

अनुलग्नक— यथावर्णित।

विश्वासभाजन,



जिला पदाधिकारी,

मधुबनी।

शापांक 651 / दिनांक 27-06-2017

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/क्षेत्रिय निदेशक, पशुपालन, दरमंगा झन्डल, दरमंगा को निविदा की एक प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी/राजीव अंचल अधिकारी, मधुबनी जिला को निविदा की दो प्रति के साथ सूचनार्थ एवं सूचनापट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., मधुबनी को निविदा को डेवसाइट के माध्यम से प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : क्रय समिति के सभी सदस्यों अपर समाहर्ता, आयदा प्रबंधन, मधुबनी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सहायक वाणिज्य कर आयुक्त/ जिला लेखा पदाधिकारी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित एवं दिनांक 18.07.2017 को 2:30 बजे अपराह्ण में जिला पदाधिकारी/ अपर समाहर्ता, आयप्र०, मधुबनी के कार्यालय कक्ष में आयोजित क्रय समिति की बैठक में भाग लेने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक:- निविदा की प्रति।



जिला पदाधिकारी
मधुबनी

समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला पश्चिमालन विभाग)

निविदा संख्या— 01 / वर्ष : 2017

संभावित बाढ़ 2017 से प्रभावित होने वाले पशुओं को चारा की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्म/प्रतिक्रिया एवं आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक 18.07.2017 के अपराह्ण 1:00 बजे तक भोहरबंद निविदा आनंदित की जाती है। प्राप्त निविदा को उसी दिन अपराह्ण 2:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें सभी निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि की स्पष्टिकरण अनिवार्य होगी।

—: सामग्रियों का विवरण :-

सूखा चारा (गेहूँ ला गूसा) — दर प्रति किलोटल

(मधुबनी जिला के प्रभावित प्रखंड मुख्यालय तक पहुँचाने का गाड़ा रहित)

निविदा हेतु शर्त :-

1. निविदा के रूप में तकनीकि एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग—अलग शिल्ड लिफाफा में जाना करना होगा।
2. तकनीकि निविदा में योग्य पद्धति द्वारा जाने वाले निविदा दाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
3. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद जमा किये गये निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

तकनीकि निविदा की शर्तें :-


1. तकनीकि निविदा फार्म का निबंधन प्रभाण पत्र की छायाप्रति के साथ वाणिज्यकर विभाग का निबंधन एवं वाणिज्यकर विभाग द्वारा निर्गत स्वच्छता प्रभाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन नं० एवं ऐन कार्ड की छायाप्रति एवं फर्म का नाम कभी काली सूची में दर्ज नहीं है, के संबंध में शपथ पत्र देना होगा।
2. निविदा दाता को जमानत राशि के रूप में मो०— 10,000=०० (दस हजार) रुपये का बैंक खापट जिला पश्चिमालन पदाधिकारी, मधुबनी के पक्ष में देय होगा तथा भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, मधुबनी पर भुगताये होगा, तकनीकि लिफाफा के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदा खुलने के दिन ही निविदा दाताओं को आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का नमूना उत्तेजित दर के अनुरूप देना होगा तथा नमूना में दिखाया गया सामग्री ही आपूर्ति करनी होगी। नमूना दर के अनुरूप देना होगा तथा नमूना में दिखाया गया सामग्री ही आपूर्ति करनी होगी। नमूना संतोषप्रद नहीं होने पर इसे अस्वीकृत करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा, जहाँ निविदा दाता का दर न्यूनतम ही दर्दों न हों।

वित्तीय निविदा की अन्य शर्तें :-

1. निर्धारित मानकों के अनुरूप आपूर्ति किये जाने वाले सूखा चारा का आपके फर्म का न्यूनतम दर परिवहन व्यय सहित अंकित होगा।

निविदा की अन्य शर्तें :-

1. निविदा दाताओं में से स्वीकृत निविदा दाता को एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश मिलने के एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत नमूना के अनुरूप चारे की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे।
2. निविदा में अंकित मूल्य पर जिला में किसी स्थानों पर समानों की आपूर्ति करनी होगी तथा निविदा में स्वीकृत दर पूरे बाद अवधि के लिए मान्य होगी।
3. स्वीकृत निविदा दाता को छोड़कर शेष की जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
4. दिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत या स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
5. इस निविदा से संबंधित जानकारी madhubani.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।


जिला पश्चिमालन
मधुबनी।